न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(प्रथम)

महिला उत्पीड़न, भदोही।

उपस्थितः–   पुष्पा सिंह
(उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे.ओ.कोड–यू.पी.01588

सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10017672024

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

1–सज्जन पुत्र भुल्लर

2–भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन

निवासीगण–दस्सूपुर, थाना कोईरौना

जनपद–भदोही। ....अभियुक्तगण।

एवं

सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026

सी.एन.आर.नं.यू.पी.एस.एन.10018062026

उत्तर प्रदेश राज्य ....अभियोजन पक्ष।

बनाम

कविता पुत्री भुल्लर

निवासिनी–दस्सूपुर, थाना–कोईरौना

जनपद–भदोही। ....अभियुक्ता।

अपराध संख्या–63 सन् 2024
धारा–498ए, 304बी.भारतीय दण्ड संहिता
व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कोईरौना, जनपद–भदोही।

निर्णय

1. उपरोक्त दोनों सत्र परीक्षण, क्रमशः सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024, उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिं सज्जन व एक अन्य एव सत्र परीक्षण संख्या –489

सन् 2026, उत्तर प्रदेश राज्य प्रति कविता एक ही मुकदमा अपराध संख्या–63 सन् 2024, धारा–498ए, 304 बी.भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोईरौना, जनपद भदोही से सम्बन्धित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से एक साथ निर्णीत किया जा रहा है।

2. अभियुक्तगण–सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन, कविता व रीतू पुत्रीगण भुल्लर के विरूद्ध थाना–कोईरौना की पुलिस द्वारा मु०अ०सं०–63 सन् 2024, अंतर्गत धारा–498ए, 304बी.भारतीय दण्ड संहिता व धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना–कोईरौना, जनपद–भदोही के अन्र्तगत आरोप पत्र प्रेषित कर दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

3. प्रस्तुत प्रकरण में आरोप अभियुक्तगण सज्जन, भुल्लर, कविता व रीतू के विरुद्ध दिनांक 23.07.2024को विरचित किए गये हैं। दिनांक 20.08.2025को अभियुक्ता रीतू की पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भदोही को पृथक कर प्रेषित की गयी है।

4. प्रस्तुत प्रकरण का संपूर्ण विवरण प्रारुप में संक्षेप में निम्नवत है–

अपराध कारित किए जाने का दिनांक	29.05.2024
प्रथम सूचना रिपोर्ट का दिनांक	29.05.2024
न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित करने का दिनांक	10.07.2024
आरोप विरचन का दिनांक	23.07.2024
साक्ष्य प्रारम्भ होने का दिनांक	20.08.2024
अभियुक्तगण का कथन अंकित करने का दिनांक	02.07.2025
अभियुक्तगण की दलील	09.07.2026
पत्रावली निर्णय हेतु सुरक्षित रखने का दिनांक	23.07.2026
निर्णय का दिनांक	23.07.2026
दण्डादेश पारित करने का दिनांक, यदि कोई हो	24.07.2026

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि अभियोगी गुड्डू पुत्र टेगयीराम ने दिनांक 29.05.2024 को थाना प्रभारी थाना कोईरौना को लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 इस आशय से दिया कि वह ग्राम बैकुण्ठपट्टी उर्फ सुजातपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही का निवासी है। अभियोगी की पुत्री नीतू का विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम दस्सूपुर थाना कोईरौना जनपद भदोही में किया था। शादी के बाद से ही अभियोगी की बेटी को उसके घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तब अभियोगी दहेज स्वरुप एक

सोने की अंगूठी व एक सोने की चैन दिया लेकिन दो चक्का गाड़ी नहीं दे पाया, जिसके लिए अभियोगी की बेटी को अक्सर आये दिन लड़की के पति सज्जन पुत्र भुल्लर, ससुर भुल्लर व ननद कविता बेटी को लड़ाई झगड़ा करके उसका मारा पीटा। जब वह घटना को घर पर बताने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी नहीं दिये फिर दूसरे दिन 29.05.2024 को सुबह 9.00 से 10.00 के बीच जान से मारकर उसको साड़ी के सहारे गले में फन्दा लगाकर घर के अन्दर पंखा के सहारे उसको लटका दिये थे जिसकी सूचना अगुआ के द्वारा दिया गया कि आपकी बेटी लड़ाई झगड़ा की है, जिसको आप समझा दीजिए। जब वहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि मेरी बेटी को मारकर फाँसी पर लटका दिये हैं। अतः उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया।

6. वादी मुकदमा की उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना–कोईरौना में दिनांक 29.05.2024 को समय 20.54 बजे मु०अ०सं०–63 सन् 2024 अंतर्गत धारा–498–ए, 304–बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम में पंजीकृत किया गया था तथा बाद विवेचना विवेचक के द्वारा अभियुक्तगण सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन, कविता व रीतू पुत्रीगण भुल्लर के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–498–ए, 304–बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर में विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

7. अभियुक्तगण सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र स्व० रामलखन, कविता व रीतू पुत्रीगण भुल्लर के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–498–ए, 304–बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही–ज्ञानपुर द्वारा दिनांक 10.07.2024 को प्रसंज्ञान लिया गया और मामला सत्र परीक्षणीय होने के आधार पर पत्रावली दिनांक 10.07.2024 को सत्र न्यायालय सुपुर्द की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश के द्वारा पत्रावली अन्ततः अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय (प्रथम) महिला उत्पीड़न, भदोही–ज्ञानपुर के न्यायालय में अन्तरित की गयी।

8. अभियुक्तगण सज्जन, भुल्लर, कविता व रीतू के विरूद्ध आरोप दिनांक 23.07.2024 को धारा–498–ए, 304–बी. भारतीय दण्ड संहिता एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार

किया व विचारण की मांग की।

9. अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 अभियोगी गुड्डू गौतम, अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 तिलेश्वरनाथ, अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 पवन कुमार, अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 हे०कां० सौरभ कुमार, अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 डॉ० शंकर सुवन,अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 डॉ० शालिनी पाठक,अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 संतोष कुमार तथा अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 क्षेत्राधिकारी/विवेचक प्रभात राय को परीक्षित कराया गया तथा साक्ष्य अभियोजन समाप्त किया गया और अभियोजन द्वारा पुलिस प्रपत्रों पर नियमानुसार प्रदर्श डाले गये–

दिनांक	बयान साक्षी संख्या	कागज संख्या	प्रदर्श संख्या
20.08.2024	P.W.1 अभियोगी गुड्डू गौतम	1.तहरीर 5अ 2.पंचायतनामा 11अ	प्रदर्श क–1 प्रदर्श क–2
29.08.2024	P.W.2 तिलेश्वरनाथ	----------	---------
26.09.2024	P.W.3 पवनकुमार	----------	-------
08.10.2024	P.W.4कां० सौरभ कुमार	1.चिक एफ.आई.आर 2.कायमी जी०डी०	प्रदर्श क–3 प्रदर्श क–4
22.10.2024	P.W.5 डॉ० शंकर सुवन	1.पत्र अभियुक्त भुल्लुर 2.जी०डी० 3.पत्र प्रतिसार निरीक्षक 4.पत्र सी.एम.ओ. 5.पुलिस फार्म–13 6.फोटोनाश 7.शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10.11 प्रदर्श क–12 प्रदर्श क–13
22.10.2024	P.W.6डॉ०शालिनी पाठक	1.पत्र अभियुक्त भुल्लुर 2.जी०डी० 3.पत्र प्रतिसार निरीक्षक 4.पत्र सी.एम.ओ. 5.पुलिस फार्म–13 6.फोटोनाश 7.शव विच्छेदन आख्या	प्रदर्श क–6 प्रदर्श क–7 प्रदर्श क–8 प्रदर्श क–9 प्रदर्श क–10.11 प्रदर्श क–12 प्रदर्श क–13
11.11.2024	P.W.7 संतोष कुमार	पंचायतनामा	प्रदर्श क–2
10.06.2025	P.W.8 प्रभात राय	1.आरोप–पत्र 2.नक्शानजरी	प्रदर्श क–14 प्रदर्श क–15

10. अभियुक्तगण का बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० अंकित किया

गया। अभियुक्तगण ने अभियोगी द्वारा मुकदमा रंजिशन कायम कराने, गवाहान द्वारा गलत बयान देने व फर्जी प्रपत्र आदि साबित करने का कथन किया है तथा विवेचक द्वारा गलत और झूंठी विवेचना हितबद्ध होकर की गयी है अभियुक्तगण की ओर से अपने अतिरिक्त कथन में यह कहा गया है कि वादी मुकदमा ने उसके विरोधियों की साजिश में होकर झूंठा एवं बनावटी मुकदमा दाखिल किया है। अभियुक्तगण निर्दोष हैं तथा उन्हें झूंठे मुकदमे में फंसाया गया है।

11. अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री प्रवेश तिवारी के द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अभियुक्तगण जो कि मृतका के पति व उसकी ससुराल के लोग हैं, के द्वारा मृतका को दहेज की माँग पूरी न होने के कारण उसकी गला दबाकर हत्या की गयी है। अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया है।

12. जबकि अभियुक्तगण की ओर से नामित विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्श प्रणाली अधिवक्ता श्री दीपक रावत द्वारा मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका के ससुर अभियुक्त भुल्लर द्वारा थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अभियुक्त निर्दोष है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अभियुक्तगण के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया है। जबकि आरोप–पत्र चार अभियुक्तगण के विरुद्ध दाखिल किया गया है। तहरीर में कोई दिनांक अंकित नहीं है। पंचायतनामा के अनुसार मृतका के मृत्यु कारण हैंगिंग है। अभियोजन के द्वारा नायब तहसीलदार को बतौर अभियोजन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त सज्जन घटना के समय मौके पर उपस्थित नहीं था। अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 व 2 जो कि मृतका के पिता व भाई हैं, के द्वारा अपने साक्ष्य में स्वीकार किया गया है कि पीड़िता द्वारा स्वयं आत्महत्या की गयी है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में आपस में घोर विरोधाभाष है। बचाव साक्षी क्रमांक–1 जो कि अभियुक्त सज्जन के फूफा हैं, के द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि घटना के समय अभियुक्ता कविता अपनी बहन रीतू के साथ अपने फूफा के घर पर थी। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया

गया है।

13. इस प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

1. क्या दिनांक 14.06.2022 को अभियोगी की पुत्री नीतू (मृतका) का विवाह अभियुक्त सज्ञन गौतम से हुआ था, परन्तु सभी अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से ही मृतका को दहेज में मोटर साइकिल न मिलने के कारण लगातार प्रताड़ित किया गया ?
2. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 28.05.2024 को नीतू (मृतका) से लड़ाई–झगड़ा कर उससे मारपीट की गई तथा दिनांक 29.05.2024 की प्रातः अभियुक्त सज्ञन गौतम की शह पर अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मृतका नीतू को जान से मारकर उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे के सहारे फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार विवाह के सात वर्ष के अंदर दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता करते हुए दहेज मृत्यु कारित की गई ?
3. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.06.2022 को अभियुक्त सज्ञन गौतम व मृतका नीतू के विवाह के उपरांत दिनांक 29.05.2024 तक मृतका नीतू से लगातार अतिरिक्त दहेज के रुप में मोटर साईकिल की अवैध मांग की गई ?

विवेचन एवं निष्कर्ष–विचारणीय बिन्द संख्या–1, 2 एवं 3

14. सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्यों की पुनरावृत्ति को रोके जाने हेतु, सभी विचारणीय बिन्दुओं का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम तहरीर प्रदर्श क–1 अवलोकनीय है, जिसमें यह अंकना है कि वह ग्राम बैकुण्ठपट्टी उर्फ सुजातपुर थाना गोपीगंज जनपद भदोही का निवासी है। अभियोगी की पुत्री नीतू का विवाह लगभग दो वर्ष पूर्व ग्राम दस्सूपुर थाना कोईरौना जनपद भदोही में किया था। शादी के बाद से ही अभियोगी की बेटी को उसके घर वाले दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे तब अभियोगी दहेज स्वरुप एक सोने की अंगूठी व एक सोने की चैन दिया लेकिन दो चक्का गाड़ी नहीं दे पाया, जिसके लिए अभियोगी की बेटी को अक्सर आये दिन लड़की के पति सज्ञन पुत्र भुल्लर, ससुर भुल्लर व ननद कविता बेटी को लड़ाई झगड़ा करके उसका मारा पीटा। जब वह घटना को घर पर बताने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी नहीं दिये फिर दूसरे दिन 29.05.2024 को सुबह 9.00 से 10.00 के बीच जान से मारकर उसको साड़ी के सहारे गले में फन्दा लगाकर घर के अन्दर पंखा के सहारे उसको लटका दिये थे जिसकी सूचना अगुआ के द्वारा दिया गया कि आपकी बेटी लड़ाई झगड़ा की है, जिसको आप समझा दीजिए। जब वहाँ पर पहुंचे तो पता चला कि मेरी बेटी को मारकर फाँसी पर

लटका दिये हैं।

15. प्रदर्श क–1 को अभियोजन साक्षी क्रमांक–1, गुड्डू गौतम जो कि मृतका नीतू का पिता है, के द्वारा प्रमाणित करते हुए अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह अपनी लडकी नीतू का विवाह सज्ज्न पुत्र भुल्लर निवासी ग्राम दस्तूपुर थाना कोर्डरौना जिला भदोही के साथ किया था, लगभग दो साल से ऊपर हो गया। वह पढ़ा लिखा नही है। वह मेहनत मजदूरी करके कमाता है उसके तीन लडके तीन लडकिया थी। वह दो लडकी व दो लडको की शादी कर चुका है। चौथे नम्बर की उसकी लड़की नीतू थी, 14 जून 2022 को नीतू की शादी सज्ज्न के साथ किया था। वह नीतू की शादी में सोने की अंगूठी, सोने का चेन, 21 हजार रूपये नकद तथा घर गृहस्थी का सामान कपडा, वर्तन आदि अपने सामर्थ के अनुसार देकर विदा किया था। दो चक्के गाड़ी की मांग सज्ज्नम उनके पिता भुल्लर व परिवार के लोग करते थे। इस मांग को लेकर पति सज्ज्न ससुर भुल्लर, ननद कविता, व रीतू आये दिन उसकी लड़की को मारते पीटते एवं प्रताड़ित करते थे जिसकी सूचना नीतू मोबाइल से अपने भाई के मोबाइल पर व पर आने पर हम लोगो से दहेज की उपरोक्त मांग व मारने पीटने व प्रताड़ित करने की बात बतायी थी. जिसके बाद हमने उसके ससुराल जाकर समझाया बुझाया था और वह कहा कि हम गरीब आदमी है व्यवस्था नही हो पा रही है समय आने पर देखेगे लेकिन वे लोग मान नही रहे थे। दिनांक 28.05.2024 को उसके दामाद सज्ज्न के शह पर ननद कविता व रीतू, ससुर भुल्लर उसकी लड़की नीतू को मारपीट कर चोटे पहुंचायी। दिनांक 29.05.2024 को उसकी लड़की नीतू को सास ने मारकर उसको साड़ी के शहारे फंदा लगा दिये थे। शादी के अगुआ संतोष कुमार जो गोलखरा के निवासी है उन्ही के द्वारा सूचना मिली थी कि आपकी लड़की के सुसर मेरे (हमारे) घर आये है बता रहे है कि आपकी पुत्री नीतू से झगड़ा हुआ है, आकर आप समझा बुझा दीजिए। वह साइकिल से अपनी लड़की के ससुराल गया वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी लड़की नीतू को बेड पर लिटाया गया है, उसे जान से मार दिया। पुलिस भी आ गयी, पुलिस ने मेरी लड़की नीतू के शव का पंचायतनामा किया और उसकी भी पंचायतनामा में हस्ताक्षर कराये तथा उसके भाई दीनानाथ, मनोज कुमार तथा अगुआ संतोष कुमार के हस्ताक्षर कराये थे। वह घटना के संबंध में अपने भतीजे पवन कुमार से बोलकर दरख्वास्त लिखवाया था। पवन कुमार

लिखने क बाद पढ़कर सुनाया था तथा वह अपना हस्ताक्षर बनाकर थाने पर दिया था। दरोगा, सी०ओ० साहब ने उससे पूछताछ किया था उसका बयान सी०ओ० साहब लिखे थे। वह सी०ओ० साहब के साथ दूसरे दिन अपनी लड़की नीतू के ससुराल गया था। सी०ओ० साहब जहां उसकी लड़की मरी थी उसे देखे थे। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 5अ प्रार्थनापत्र तहरीर साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। साक्षी ने प्रार्थनापत्र तहरीर तथा उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 113/1 लगायत 113/2 पंचायतनामा को देखकर उस पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया।

16. उपरोक्त अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 गुड्डू गौतम के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 तिलेश्वरनाथ, जो कि मृतका नीतू का भाई है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि नीतू उसकी सगी बहन थी। उसकी तीन बहने है सबसे बड़ी बहन नीशा, दूसरी नीतू थी, तीसरी बहन पुनीता है। पुनीता की अभी शादी नही हुयी है। नीतू की शादी दिनांक 14 06.2022 को सज्नन गौतम पुत्र भुल्लर निवासी दस्सूपुर थाना कोईरौना जिला भदोही के साथ हुयी थी। नीतू की शादी में हम लोग अपने सामर्थ के शाथ उपहार स्वरूप घर गृहस्थी का सामान 21 हजार रूपये नकद देकर शादी करके राजी खुशी विदा किया था। नीतू के ससुर व पति व उनके परिवार के लोग भेट उपहार से संतुष्ट नहीं थे। शादी के कुछ दिन बाद नीतू के पति सज्ज्न उसके ससुर भुल्लर उसकी परिवार के अन्य लोग दहेज में दो चक्का गाड़ी की मांग करते थे। नीतू के पति राज्ञन व ससुर भुल्लर उससे खुद मोटर साइकिल की मांग किये थे तो वह हाथ जोड़कर विनती किया था कि हम लोगो की इतनी सामर्थ नहीं है कि मोटरसाइकिल वे सके, समय आने पर दे देगे। इसी मोटर साइकिल को लेकर उसकी बहन नीतू को उसके ससुराल वाले मारते पीटते थे, जिसकी शिकायत नीतू उसके भाई के मोबाइल पर व घर आने पर हम लोगो को मौखिक बतायी थी और मारने पीटने की बात भी बतायी थी। नीतू उससे उम्र में छोटी थी। वह कहा था कि धीरज रखो समय आने पर सब ठीक हो जायेगा। दिनांक 28.05.2024 को उसके बहनोई सज्ज्न के शह पर नीतू की ननद कविता व रीतू तथा ससुर भुल्लर उसकी बहन को मारपीट कर चोट पहुंचायी थी। दिनांक 29.05. 2024 को उसकी बहन नीतू को सास ने मारकर साड़ी के शहारे फंदा लगाकर पंखे से लटका

दिये थे, जिसकी सूचना उसी दिन शादी के अगुआ संतोष कुमार द्वारा सूचना मिलने पर पिता जी के साथ वह भी नीतू के ससुराल ग्राम दस्सूपुर गया था। वहां जाकर देखा कि उसकी बहन नीतू को बेड पर लेटाया गया था वह मर चुकी थी। सूचना पर पुलिस भी आ गयी थी। पुलिस वाले उससे कही हस्ताक्षर नहीं कराये थे। इस घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र उसके पिता उसके चचेरे भाई पवन कुमार से बोलकर दरख्वास्त लिखाया था। पवन कुमार दरख्वास्त लिखकर पढ़कर सुनाया था। उसके पिता जी उस पर दस्तखत किये थे। सी०ओ० साहब उसका बयान लिये थे।

17. अभियोजन साक्षी क्रमांक–3 पवन कुमार, जो कि मृतका के मायके के गांव का तथा पंचायतनामा का गवाह है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि उसके गाँव की लड़की नीतू पुत्री गुड्डू की शादी वर्ष 2022 में दस्सूपुर थाना कोईरौना जिला भदोही के निवासी सज्जन पुत्र भुल्लर के साथ हुई थी। गुड्डू ने अपनी बेटी नीतू की शादी में अपने हैसियत के अनुसार उपहार दिया था व खर्च किया था। नीतू के ससुराल वाले दहेज में मोटरसाईकिल को लेकर उसे मारते–पीटते व प्रताड़ित करते थे। दिनांक–29.05.2024 को उनके ससुराल के लोगों द्वारा नीतू की हत्या कर सच्चाई को छपाने के लिए उसे पंखे शहारे लटकाकर फांसी का रूप दिखाने की कोशिश की गई थी जिसके संबंध में जानकारी होने घर गुड्डू के साथ नीतू के ससुराल गया और उसके बाद गुड़ के सा थाना कोईरौना पर भी गया। थाना जाने से पहले गुड्डू के बोलने पर वह प्रार्थनापत्र थाने के लिए लिखा था और गुड्डू को पढ़कर सुनाया था। गुड्डू सुनने के बाद प्रार्थना पत्र पर अपना हस्ताक्षर बनाये थे। वह भी अपना हस्ताक्षर प्रार्थनापत्र लेखक के रूप में उस पर बनाया था। दरोगा जी ने उससे पूछ–ताछ की थी और उसका बयान लिया था। पत्रावली में शामिल प्रार्थनापत्र तहरीर को देखकर साक्षी ने अपने हस्तलेख में गुड्डू के बोलने पर तैयार करने व उस पर बने लेखक के रूप में अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–1 डाला जा चुका है।

18. अभियोजन साक्षी क्रमांक–7 संतोष कुमार, यह साक्षी भी पंचायतनामा का गवाह है, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि गुड्डू पुत्र टेंगई राम निवासी ग्राम बैंकुठपट्टी सुजातपुर थाना गोपीगंज जिला भदोही व भुल्लर पुत्र रामलखन निवासी दरसुपुर थाना कोर्डरौना जिला भदोही दोनों लोग उसके व रिश्तेदार थे। यह गुड्डू पुत्र टेंगई की

लडकी नीतू की शादी भुल्लर पुत्र रामलखन के लडके सज्ञन के साथ तय कराया था। शादी दिनांक 14 जून 2022 में हुई थी। शादी में गुड्डू द्वारा काफी गृहस्थी का सामान व उपहार स्वरूप नगद कपडा, गहना, पलम रजाई. गद्दा आलमारी व बडा बक्सा आदि सामान देकर लडकी की विदाई किया था। लडकी के जाने के कुछ दिन बाद से सज्ञन व उसके पिता भुल्लर व ननद कविता व रितु सभी लोग मोटरसाईकिल की माँग को लेकर नीतू को मारने–पीटने व प्रताडित करने लगे, जिसकी सूचना लड़की द्वारा दिये जाने पर वह भी गुड्डू के साथ जाकर भुल्लर व सज्ञन को समझाया बुझाया था कि ऐसा काम न करें लड़की को मारने–पीटने व प्रताड़ित करने का काम न करें, लेकिन इन लोगो के व्यवहार में कोर्ड परिवर्तन नहीं हुआ। कुछ दिन ठीक रहते थे फिर अपनी दहेज की माँग मोटरसाईकिल पर अड़ जाते थे और नीतू को प्रताडित करते थे। दिनांक–29.05.2024 को सुबह भुल्लर उसके घर आये और उससे बताये कि लड़ाई–झगड़ा हुआ है। नीतू ने फॉसी लगा लिया है, तो वह इसकी सूचना गुड्डू को दिया और वह मौके पर पहुँचा तो देखा कि नीतू को बेड पर लिटाया गया है और वह मृत अवस्था में पड़ी है। मौके पर नायब तहसीलदार भी पहुँच गये थे। पंचायतनामा भरे थे, पढ़कर, सुनाकर उसका भी हस्ताक्षर बनवाये थे। नीतू की हत्या दहेज में मोटरसाईकिल की माँग को लेकर सज्ञन व उसके पिता भुल्लर व सज्ञन की दोनों बहने रीतू व कविता द्वारा मिलकर की गई थी। सी.ओ साहब ने उससे भी पूछताछ किया था और उसका बयान लिया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 113/1 लगायत 113/2 पंचायतनामा को देखकर साक्षी ने पंचायतनामा व उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर पूर्व में प्रदर्श क–2 डाला गया है।

19. अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 कां० सौरभ कुमार, जो कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी०डी० के लेखक हैं, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि वह दिनांक 29.05.2024 को वतौर कान्स्टेबल मोहर्रिर थाना कोईरौना कार्यालय कार्यलेख पर मौजूद था और उस दिन प्रार्थी गुड्डू टेंगइराम बैंकुड्ड पट्टी सुजातपुर, थाना गोपीगंज, जिला भदोही के प्रार्थनापत्र पर अपराध संख्या 63/2024 धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट की चिक विरूद्ध अभियुक्तगण सज्ञन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र रामजतन, कविता पुत्री भुल्लर, निवासीगण दस्सूपुर, थाना कोईरौना, जिला भदोही के चिक कम्प्यूटर पर उसके द्वारा किता की गयी थी जिसकी

कायमी जी०डी० संख्या 33 दिनांक 29.05.2024 को समय 20.54 बजे कम्प्यूटर पर उसके द्वारा किता की गयी। पत्रावली में शामिल कागज संख्या अ/1 लगायत 3अ/3 चिक एफ०आई०आर० 63/2024 को देखकर साक्षी ने चिक एफ०आई०आर० व उस पर बने प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 8अ जी०डी० संख्या 33 दिनांकित 29.05.2024 को देखकर साक्षी ने जी०डी० व उस पर बने हस्ताक्षर की पुष्टि किया जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया।

20. उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा दाखिल साक्ष्य के अनुसार मृतका नीतू का विवाह अभियुक्त सज्जन से दिनांक 14.06.2022 को हुआ है तथा नीतू की मृत्यु अपनी ससुराल में दिनांक 29.05.2024 को हुआ है। अर्थात मृतका की मृत्यु उसकी ससुराल में उसके विवाह के सात साल के भीतर हुयी है। प्रस्तुत प्रकरण में जहाँ तक अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को दहेज की माँग को लेकर प्रताड़ित करने का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी क्रमांक–1गुड्डू गौतम जो कि मृतका का पिता है, के प्रतिपरीक्षण पृष्ठ संख्या–4 के कथन अवलोकनीय हैं, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि इस घटना से पहले उनके द्वारा अपनी लड़की के उसके ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित करने की शिकायत कहीं नहीं किया गया था। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–2 में कहा है कि उसने मुल्जिमानों के नाम शक के आधार पर लिखाया है। मृतका नीतू के पिता गुड्डू गौतम द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–3 में यह कहा गया है कि शादी के समय सज्जन के परिवार वालों से लेन देन की बातचीत नहीं हुयी थी। शादी में जो भी गहने नगदी सामान दिया था, वह अपनी स्वेच्छा से दिया था। अभियोजन साक्षी क्रमांक–3पवन कुमार द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि उसे जानकारी नहीं है कि किस बात को लेकर विवाद हुआ था। नीतू की हत्या के सम्बन्ध में उसने कुछ नहीं देखा है। अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 तिलेश्वरनाथ जो कि मृतका नीतू का भाइ है, के प्रतिपरीक्षण पृष्ठ संख्या–2 के कथनों का अवलोकन अत्यन्त आवश्यक है, जिसमें उनके द्वारा कहागया है कि उसने अपनी बहन से दहेज मांगने के बावत कोई शिकायत कहीं नहीं किया था। शादी के बाद उसकी बहन राजी खुशी से ससुराल गयी थी। शादी के समय दहेज की बावत कोई मांग नहीं किये थे। इसी साक्षी ने आगे अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है

कि उसकी बहन नीतू अपने पति सज्जन के साथ जहाँ वह नौकरी करते थे, वहाँ पर रहना चाहती थी। इस बात को लेकर घर में कहासुनी होती थी। उसकी बहन अपने पति द्वारा दिये गये मोबाइल से उन लोगों से बातचीत करती थी। इसी साक्षी के प्रतिपरीक्षण पृष्ठ संख्या–3 व 4 के कथनों का अवलोकन आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि "यह कहना सही है कि मेरी बहन अपने पति के साथ जहाँ वो काम करते थे, रहना चाहती थी। यह कहना सही है कि मेरी बहन अपने पति के साथ रहना चाहती थी, इस कारण अपने से फांसी लगाकर मर गयी।

21. यहाँ पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–113–ख.** अवलोकनीय है जो कि दहेज मृत्यु के बारे में यह उपधारणा करती है कि, "जब प्रश्न है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दर्शित किया जाता है कि मृत्यु से कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी माँग के लिए, या उसके सम्बन्ध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।" अभियोजन साक्षी क्रमांक–1गुड्डू गौतम व अभियोजन साक्षी क्रमांक–2 तिलेश्वरनाथ जो कि मृतका नीतू के क्रमशः पिता एवं भाई हैं, के साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि पीड़िता की मृत्यु के पूर्व उसे दहेज की माँग को लेकर अभियुक्तगण द्वारा प्रताड़ित किया गया। अतः यहाँ पर **धारा–113 ख. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872** की उपधारणा न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकती है।

22. यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित आरोप दिनांकित 23.07.2024 में अभियुक्त के विरुद्ध वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302 व 201भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत इस प्रकार विरचित किया गया है कि, "क्या अभियुक्तगण द्वारा अभियोगी की पुत्री नीतू को मारपीट करते हुए तथा उस पर क्रूरता करते हुए दिनांक 29.05.2024 को समय 09 से 10 बजे सुबह स्थान दस्सूपुर, थाना कोईरौना जनपद भदोही में नीतू की हत्या गला दबाकर कर दी गई और आत्महत्या दिखाने के लिए उसके गले में साड़ी का फंदा लगाकर घर के अंदर पंखे के सहारे लटका दिया गया ? "

23. उपरोक्त विरचित वैकल्पिक आरोप के सम्बन्ध में यहाँ पर सर्वप्रथम मृतका नीतू पत्नी सज्जन के शव विच्छेदन आख्या का अवलोकन आवश्यक है जो कि प्रदर्श क–

13 के रुप में अभिलेख पर उपलब्ध है, जिसे अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 डॉ० शंकर सुवन व अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 डॉ० शालिनी पाठक द्वारा प्रमाणित किया गया है। प्रदर्श क–13 का विवरण इस प्रकार है–बाह्य परीक्षण– दोनो आँखे खुली थी, मुँह, नाक व कान के छेद सामान्य थे। नाखून सामान्य था। दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी थी। मलद्वार सामान्य था।

बाहरी चोट संख्या 1– निलगू निशान 1x0.5 cm दाहिने तरफ जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 2– निलगू निशान 3.5 cmx0.5 cm बाँये जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 3– Abrasion 5–0 cm*1–0 cm गले के मध्य में थायराईड के ऊपर मध्य लाईन से दोनों तरफ बराबर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–1. HEAD

(a) scalp finding– NAD

b–skull–NAD

c– Meninges, meningeal spaces and Carebral vessels (Hemorrhage and its location)– NAD

f–Brain findings & Wt.–NAD

g– Orbital, Nasal, & Aural cavities–NAD

2. NEACK

a– Mouth–NAD, Toungue– NAD, Pharynx–Congested

b– Larynx & Vocal cords– Congested

c–Condition of neck tissue– Congested

d–Thyroid & other cortinage condition–Congested

e–Trachea–Congested, Hyoid Bone–Fractured

3 CHEST–

Ribes and chest wall– NAD

Oesophagus–Congested

Trachea & Bronchial tree– Congested

d–Diaphragm–Congested

Pleural Cavities–NAD

Lung finding–Lt & Ri–Congested

a–Pericardial Sac–Congested

b–Heart finding& Wi––– Congested & right filled with blood

c–Large blood vessels–NAD

4. Abdomen

a– Condition of abdominal wall– NAD

b– Peritoneum & Peritoneal cavity – Nad

c– stomach (wall condition contensts And smell) weight–Empty d–Small intestine including appeandix–pasty material with gases

e–Large intestine & Mesentric vessels– Fecal

24. इस सम्बन्ध में अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 डॉ० शंकर सुवन जो कि चिकित्सक हैं के मुख्य परीक्षण के कथन यहाँ पर अवलोकनीय है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि–दिनांक 30.05.2024 को डाँ० शालिनी पाठक के साथ उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस सरपतहां ज्ञानपुर में लगी थी। उस दिन थाना कोईरौना महिला कां० अन्जली यादव पी.एन.ओ नम्बर–192160633 द्वारा मृतका नीतू हरिजन पत्नी सज्ज्न हरिजन निवासी दस्सूपुर थाना कौईरौना जिला भदोही का शव पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाऊस सरपतहां लाया गया जिसका सर्व मुहर सही हालात में दुरुस्त था। शव के साथ पंचायतनामा पत्र थाना प्रभारी, जी.डी रिपोर्ट थाना कोईरौना प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट थाना कोईरीना मुख्य चिकित्साधिकार, पुलिस फार्म संख्या–13. नायब तहसीलदार रिपोर्ट, फार्म पंचायतनामा के संबंध में व फोटो नाश प्रपत्र प्राप्त हुए जिसके अवलोकन परान्त हम दोनों ने अपने हस्ताक्षर व मुहर किये तथा पोस्टमार्टम की कार्यवाई का संपूर्ण विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित किया। मृतका का नाम नीतू हरिजन उम्र 22 वर्ष पत्नी सज्ज्न हरिजन शव के साथ उसके भाई तिलेश्वर नाथ व पिता गुड्डू प्रसाद भी साथ में आये थे। मृतका की लंबाई 152 cm व दुबली–पतली मृतका के शरीर पर नीली

साड़ी, नीला ब्लाउज हल्के हरे रंग का पेटीकोट नाक में पीले रंग का पिन और दोनो कान में पीले रंग का रिंग, चार नग बिछिया, एक पैर में पायल एक पीस, दो पीस अंगूठी, गले में काले रंग का धागा व दो पीस कंगन मौजूद थे।

Libidity मौजूद नहीं था, शरीर में अकड़न मौजूद था. शरीर में सड़न नहीं प्रारंभ हुई थी।

बाह्य परीक्षण– दोनो आँखे खुली थी, मुँह, नाक व कान के छेद सामान्य थे। नाखून सामान्य था। दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी थी। मलद्वार सामान्य था।

बाहरी चोट संख्या 1– निलगू निशान 1x0.5 cm दाहिने तरफ जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 2– निलगू निशान 3.5 cmx0.5 cm बाँये जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 3– Abrasion 5–0 cm*1–0 cm गले के मध्य में थायराईड के ऊपर मध्य लाईन से दोनों तरफ बराबर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–1. HEAD

(a) scalp finding– NAD

b–skull–NAD

c– Meninges, meningeal spaces and Carebral vessels (Hemorrhage and its location)– NAD

f–Brain findings & Wt.–NAD

g– Orbital, Nasal, & Aural cavities–NAD

2. NEACK

a– Mouth–NAD, Toungue– NAD, Pharynx–Congested

b– Larynx & Vocal cords– Congested

c–Condition of neck tissue– Congested

d–Thyroid & other cortinage condition–Congested

e–Trachea–Congested, Hyoid Bone–Fractured

3 CHEST–

Ribes and chest wall– NAD

Oesophagus–Congested

Trachea & Bronchial tree– Congested

d–Diaphragm–Congested

Pleural Cavities–NAD

Lung finding–Lt & Ri–Congested

a–Pericardial Sac–Congested

b–Heart finding& Wi––– Congested & right filled with blood

c–Large blood vessels–NAD

4. Abdomen

a– Condition of abdominal wall– NAD

b– Peritoneum & Peritoneal cavity – Nad

c– stomach (wall condition contensts And smell) weight–Empty d–Small intestine including appeandix–pasty material with gases

e–Large intestine & Mesentric vessels– Fecal... मेरी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाने के कारण दम घुटने की वजह से हुई है व मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मैंने व मेरे साथ डा० शालिनी पाठक ने अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया था और गुहर भी लगाया था। पत्रावली में शामिल कागज संख्या–11 अ/1 लगायत 11 अ/2 11 अ/3 व 11 अ/4 व 11 अ/5, 11/3/6 में 11 अ/7 11/811 अ/9 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर व मुहर की पुष्टि की, जिस पर क्रमशः प्रदर्श क 5. प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क 8 प्रदर्श क 9. प्रदर्श क 10 व प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 11 अ/10 लगायत 11 अ/16 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

25. इस साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 डॉ० शालिनी पाठक महिला चिकित्साधिकारी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि–वह दिनांक 30.05.2024 को डा० शंकर सुवन के साथ में उसकी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस सरपतहां ज्ञानपुर में लगी थी। उस दिन थाना कोईरौना महिला कां०

अन्जली यादव पी.एन.ओ नम्बर–192160533 द्वारा मृतका नीतू हरिजन पत्नी सज्जन हरिजन निवासी दस्सूपुर थाना कौईरौना जिला मदोही का शव पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस सरपतहां लाया गया जिसका सर्व मुहर सही हालात में दूरूस्त था। शव के साथ पंचायतनामा पत्र थाना प्रभारी, जी.डी रिपोर्ट थाना कोईरौना प्रतिसार निरीक्षक रिपोर्ट थाना कोईरौना मुख्य चिकित्साधिकारी, पुलिस फार्म संख्या–13, नायब तहसीलदार रिपोट, फार्म पंचायतनामा के संबंध में व फोटोनाश प्राप्त हुए, जिसके अवलोकन उपरान्त हम दोनों ने अपने हस्ताक्षर व मुहर किये तथा पोस्टमार्टम की कार्यवाही का संपूर्ण विवरण पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित की गयी। मृतका का नाम नीतू हरिजन उम्र 22 वर्ष पत्नी सज्जन हरिजन शव के साथ उसके भाई तिलेश्वर नाथ व पिता गुड्डू प्रसाद भी साथ में आये थे। मृतका की लंबाई 152 cm व दुबली–पतली मृतका के शरीर पर नीली साड़ी, नीला ब्लाउज हल्के हरे रंग का पेटीकोट, नाक में पीले रंग का पिन और दोनों कान में पीले रंग का रिंग, चार नग बिछिया, एक पैर में पायल एक पीस, दो पीस अंगूठी, गले में काले रंग का धागा व दो पीस कंगन मौजूद थे।

Lividity मौजूद नहीं था, शरीर में अकड़न मौजूद था, शरीर में सड़न नहीं प्रारंभ हुई थी। बाह्य परीक्षण– दोनो आँखे खुली थी, मुँह, नाक व कान के छेद सामान्य थे। नाखून सामान्य था। दोनों हाथ की मुट्ठी बंधी थी। मलद्वार सामान्य था।

बाहरी चोट संख्या 1– निलगू निशान 1x0.5 cm दाहिने तरफ जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 2– निलगू निशान 3.5 cmx0.5 cm बाँये जबड़े के नीचे 2cm गले के मध्य से मौजूद था।

चोट संख्या 3– Abrasion 5–0 cm*1–0 cm गले के मध्य में थायराईड के ऊपर मध्य लाईन से दोनों तरफ बराबर मौजूद था।

आन्तरिक परीक्षण–1. HEAD

(a) scalp finding– NAD

b–skull–NAD

c– Meninges, meningeal spaces and Carebral vessels (Hemorrhage and its location)– NAD

f–Brain findings & Wt.–NAD

g– Orbital, Nasal, & Aural cavities–NAD

2. NEACK

a– Mouth–NAD, Toungue– NAD, Pharynx–Congested

b– Larynx & Vocal cords– Congested

c–Condition of neck tissue– Congested

d–Thyroid & other cortinage condition–Congested

e–Trachea–Congested, Hyoid Bone–Fractured

3 CHEST–

Ribes and chest wall– NAD

Oesophagus–Congested

Trachea & Bronchial tree– Congested

d–Diaphragm–Congested

Pleural Cavities–NAD

Lung finding–Lt & Ri–Congested

a–Pericardial Sac–Congested

b–Heart finding& Wi––– Congested & right filled with blood

c–Large blood vessels–NAD

4. Abdomen

a– Condition of abdominal wall– NAD

b– Peritoneum & Peritoneal cavity – Nad

c– stomach (wall condition contensts And smell) weight–Empty d–Small intestine including appeandix–pasty material with gases

e–Large intestine & Mesentric vessels– Fecal..," मेरी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाने के कारण दम घुटने की वजह से हुई है व मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करके मैंने व मेरे साथ डा० शंकर सुवन ने अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया था और मुहर भी लगाया था।" पत्रावली में शामिल कागज

संख्या–11 अ/1 लगायत 11 अ/2 11 अ/3 व 11 अ/4 व 11 अ/5, 11/3/6 में 11 अ/7 11/811 अ/9 को देखकर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर व मुहर की पुष्टि की, जिस पर क्रमशः अदर्श क 5. प्रदर्श क–6, प्रदर्श क–7, प्रदर्श क 8, प्रदर्श क 9, प्रदर्श क 10, व प्रदर्श क–11 व प्रदर्श क–12 डाला गया। पत्रावली में शामिल कागज संख्या 11 अ/10 लगायत 11 अ/16 पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–13 डाला गया।

26. अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 प्रभात राय क्षेत्राधिकारी, जो कि प्रस्तुत प्रकरण के विवेचक हैं, के द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि थाना कोईरौना पर पंजीकृत अपराध संख्या 63/2024 धारा 498ए, 304बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट की विवेचना उसके द्वारा सम्पादित करते हुये दिनांक 30.05.2024 को किता पर्चे में नकल चिक, नकल रपट, बयान वादी गुड्डू पुत्र टेंगई, बयान गवाह दीनानाथ गौतम पुत्र टेंगइ, बयान गवाह मनोज कुमार गौतम पुत्र टेंगई, बयान गवाह त्रिलेश्वरनाथ पुत्र गुड्डू बयान गवाह शिवम कुमार उर्फ गुड्डू, बयान गवाह पवन कुमार पुत्र शेषनाथ तथा निरीक्षण घटनास्थल तथा नक्शानजरी एवं बयान एफ०आई०आर० लेखक का० मुंशी सौरभ कुमार का बयान अंकित किया गया था। पर्चा नं0 2 दिनांक 31.05.2024 को किता पर्ने में अवलोकन पंचायतनामा मृतका नीतू हरिजन पति सज्जन नियुक्त पचांग भुल्लर गौतम, मृतका के शव की दशा, पहनावा होलिया एवं उसके शरीर पर आयी चोटों का निशान, राय पंचायन तथा अवलोकन पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा शादी कार्ड का अवलोकन करते हुये पर्चा किता किया गया। पर्चा नं03 दिनांक 01.06.2024 को किता पर्चे में अवलोकन गिरफ्तारी प्रपत्र अवलोकन दाखिल नकल रपट जी०डी० नं07 दिनांक 01.06.2024 समय 7.02 बजे गिरफ्तारी, बयान अभियुक्त सज्जन कुमार पुत्र भुल्लर, बयान अभियुक्त भुल्लर, बयान अभियुक्त कविता पुत्री भुल्लर, बयान अभियुक्ता रितू पुत्री भुल्लर अंकित किया गया। पर्चा किता किया गया पर्चा नं04 दिनांक 07.06.2024 को किता पर्चा में बयान गवाह संतोष प्रसाद पुत्र कान्ता प्रसाद, बयान गवपाह अमरावती देवी पुत्री गुड्डू, बयान गवाह कोमल देवी पत्नी लोरिक, बयान गवाह चनरावती देवी पुत्री मुन्नू, बयान गवाह भुल्लर पुत्र टेंगई का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं० 5 दिनांक 14.06.2025 में अभियुक्तगण प्रकाश में आये सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र रामलखन,

कविता पुत्री भुल्लर, रितू पुत्री भुल्लर की रिमाण्ड की याचना माननीय न्यायालय से की गयी। पर्चा नं0 6 दिनांक 21.06.2024 को किता पर्चे में बयान पोस्टमार्टमकर्ता डाक्टर शंकर सुवन चिकित्साधिकारी गोपीगंज तथा डाक्टर शालिनी पाठक, चिकित्साधिकारी, भदोही, बयान पंचायतनामाकर्ता नायब तहसीलदार भदोही श्रीप्रकाश यादव बयान पंचायतनामा लेखक उप निरीक्षक श्री प्रकाश मिश्रा, बयान पी०एम० करने वालें कर्मचारी महिला का० अंजली यादव पुत्री जितेन्द्र यादव का बयान अंकित किया गया। पर्चा नं07 दिनांक 27.06.2024 को किता पर्चे में अभियुक्तगण के रिमाण्ड की कार्यवाही अंकित की गयी है। पर्चा नं० 8 दिनांक 29.06.2024 को थाना कोईरौना में दिनांक 29.05.2024 को वादी गुड्डू पुत्र टेंगई निवासी ग्राम बैकुण्ठपट्टी, सुजातपुर, थाना गोपीगंज, भदोही के तहरीर सूचना के आधार पर जुर्म धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट विरूद्ध सज्जन पुत्र भुल्लर (पति), भुल्लर पुत्र रामलखन (ससुर), कविता पुत्री भुल्लर (ननद) निवासीगण ग्राम दस्सूपुर, थाना कोईरौना, जिला भदोही के विरूद्ध उसके द्वारा की गयी विवेचना साक्षीगण के बयान निरीक्षण घटनास्थल अवलोकन पंचायतनामा/पोस्टमार्टम मृतका व अन्य साक्ष्य संकलन से अभियुक्त रितू पुत्री भुल्लर (ननद) निवासीगण दस्सूपुर, थाना कोईरौना के घटना में संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्ता रितू पुत्र भुल्लर नामजदगी प्रकाश में लायी गयी। इस प्रकार बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटनास्थल, पंचायतनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तथा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सज्जन पुत्र भुल्लर, भुल्लर पुत्र रामलखन, कविता पुत्री भुल्लर, रितु पुत्री भुल्लर निवासीगण दस्सूपुर, थाना कोईरौना जिला भदोही के विरूद्ध धारा 498ए, 304 बी भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/4 डी०पी० एक्ट बाखूवी साबित पाये जाने पर अभियुक्तगण उपरोक्त का चालान जरिए आरोप–पत्र संख्या 62/2024 दिनांक 29.06.2024 को न्यायालय प्रेषित किया गया। गवाह को कागज संख्या 3अ/1 लगायत 33/9 दिखाया गया, गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर प्रदर्श क–14 डाला गया। गवाह को कागज संख्या 6अ दिखाया गया गवाह ने अपने हस्ताक्षर की पहचान की, जिस पर प्रदर्श क–15 डाला गया।

27. यहाँ पर स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अभिलेख पर उपलब्ध प्रदर्श क–13 में मृतका को गले पर तीन चोटें मृत्यु से पूर्व आने की अंकना है,जिसमें से चोट

संख्या–1एवं 2 खरोच की चोट है जिसकी लम्बाई व चौड़ाई 1 से०मी० x .5 से०मी० है जो कि जबड़े के सीध में नीचे 2 से०मी० मध्य रेखा से 2से०मी० दूर है। दूसरे खरोच की चोट जिसकी लम्बाई व चौड़ाई 3.5 से०मी०x0.5से०मी० है, जो कि बांए जबड़े के एकदम नीचे व मध्य रेखा से 2से०मी० की दूरी पर, तीसरी चोट घर्षण की चोट है जो कि 5 से०मी०x1 से०मी० की है व थायराइड के ऊपर और मध्य रेखा से बराबरी की है। मृतका की कंठिका अस्थि/हायोइड हड्डी टूटी होने की अंकना उसके शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–13 में है तथा मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व गला घोटने के कारण दम घुटने से होने की अंकना है। यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 चिकित्सक डॉ० शंकर सुवन के मुख्य परीक्षण के कथनों का अवलोकन आवश्यक है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उनकी राय में मृतका की मृत्यु का कारण गला दबाने के कारण दम घुटने से हुयी है व मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि यह फांसी लगाये जाने का केस नहीं है। अभियोजन साक्षी क्रमांक–6 महिला चिकित्साधिकारी द्वारा अपने मुख्य परीक्षण में कहा गया है कि उनकी राय में मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व गला दबाने के कारण दम घुटने की वजह से हुयी है व मृत्यु का समय एक दिन के अन्दर का है। इस चिकित्सक साक्षी द्वारा भी अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि यह फांसी लगाये जाने से सम्बन्धि नहीं है। मृतका के गले पर पोस्टमार्टम के समय तीन चोटें थी जो कि एंटीमार्टम इंजरी के रुप में दर्शित की गयी हैं।

28. **मोदी मेडिकल ज्यूरिसप्रुडेन्स एवं टाक्सिकोलॉजी** में थ्रोटलिंग का मतलब मैनुअल स्ट्रंगुलेशन–हांथ से दबाना अंकित है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका नीतू की शव विच्छेदन आख्या प्रदर्श क–13में मृत्यु का कारण मृत्यु से पूर्व की गयी थ्रोटलिंग है। प्रदर्श क–13 व अभियोजन साक्षी क्रमांक–5एवं 6 जो कि चिकित्सकगण है, के साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि मृतका नीतू की मृत्यु का कारण आत्महत्या से नहीं बल्कि उसकी हत्या हांथ से गला दबाकर है।

29. अब प्रश्न यह आता है कि उसकी हत्या अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी है अथवा नहीं ? इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम अभिलेख पर दाखिल प्रदर्श क–6 जो कि अभियुक्त भुल्लर द्वारा थाना कोईरौना में दी गयी तहरीर की मूल प्रति है, अवलोकनीय है, यह तहरीर दिनांक 29.05.2024को दी गयी है, जिसमें यह अंकना है कि "आज दिनांक

29.05.2024 समय 11.30बजे दिन में मेरी बहू नीतू गौतम पत्नी सज्जन गौतम आयु 22 वर्ष जो पंखे से साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसका शव कमरे में बेड पर पड़ा है, सूचना दे रहा हूँ।" प्रदर्श क–15 जो कि घटनास्थल का नक्शानजरी है। इस दस्तावेज को विवेचक द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–8 प्रमाणित किया गया है। इस दस्तावेज में संकेत एक्स वह स्थान है, जिस कमरे में अभियुक्तगणों द्वारा मृतका को दहेज प्रताड़ना के क्रम में जान से मारकर साड़ी के सहारे गले में फंदा लगाकर पंखे पर लटका दिये जाने की बात बतायी गयी है। संकेत वाई वह स्थान है, जहाँ पर मृतका को जान से मारकर पंखे पर साड़ी के सहारे लटकाये जाने के उपरान्त फांसी से उतारकर बेड पर लेटाये जाने तथा वादी द्वारा मृतका को मृत्यु के उपरांत प्रथम बार देखा जाना बताया गया है। उल्लेखनीय है कि मृतका नीतू की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में समय लगभग 9.00 से 11.30 बजे दिन में हुयी है। उल्लेखनीय है कि चिकित्सीय साक्ष्य के अनुसार मृतका नीतू की हत्या हांथ से गला दबाकर की गयी है तथा मृतका के गले में मृत्यु के पूर्व की तीन चोटें हैं।

30. यहाँ पर न्याय **दृष्टांत साहेब राव मोहन बेराड विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य, 2011 क्रिमिनल लॉ जर्नल 2157(उच्चतम न्यायालय)** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस न्याय दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि मृत्यु के कारण के सम्बन्ध में चिकित्सक ही मात्र सक्षम व्यक्ति है, जो यह बताये कि मृत्यु का कारण क्या था।

31. यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मृतका नीतू को मृत्यु से पूर्व आयी गले में, तीन चोटों के संदर्भ में, अभियुक्त भुल्लर द्वारा जो तहरीर थाने में दी गयी है, उस तहरीर में कोई अंकना क्यों नहीं की गयी है तथा अभियुक्तगण द्वारा इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मृतका के गले में मृत्यु से पूर्व तीन चोटें किस प्रकार से आयी हैं।

32. यहाँ पर न्याय दृष्टांत **लल्लन राय व अन्य विरुद्ध बिहार राज्य, 2002 क्रिमिनल लॉ जर्नल (उच्चतम न्यायालय)** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि किसी अभियुक्त को धारा–34भारतीय दण्ड संहिता की सहायता से उस स्थिति में भी दोषसिद्ध किया जा सकता है। जबकि उस अभियुक्त के विरुद्ध धारा–34 भा०दं०सं० के अन्तर्गत आरोप विरचित न किया गया हो।

33. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि चिकित्सक द्वारा बतौर अभियोजन साक्षी क्रमांक–6डॉ० शालिनी पाठक द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि मृतका के गले की चोटें किसी ठोस जगह पर गिरने से भी आ सकती है। इस सम्बन्ध में यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्तगण द्वारा इस सम्बन्ध का कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत किया गया है कि जबकि मृतका नीतू की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में दिन में हुई है। वह किस ठोस चीज पर गिरी, जिससे उसके गले में तीन चोटें आयीं। अतः इस तर्क का कोई भी लाभ अभियुक्तगण को प्राप्त नहीं होता है।

34. यहाँ पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872की धारा–106** अवलोकनीय है तो यह प्रावधानित करती है कि, "विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार उस व्यक्ति पर होता है, जिसके ज्ञान में वह तथ्य होता है। जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि मृतका के सगे भाई तिलेश्वरनाथ द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में कहा गया है कि उसकी बहन अपने पति के साथ बम्बई जाना चाहती थी, वह नहीं ले गया इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। इस सम्बन्ध में यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि यह साक्षी गांव का व्यक्ति है तथा कोई चिकित्सकीय विशेषज्ञ नहीं है तथा यह साक्षी घटना के समय वहाँ पर उपस्थित भी नहीं था, जिससे वह बता सके कि उसकी बहन नीतू की हत्या की गयी अथवा उसके द्वारा आत्महत्या की गयी। अतः इस अभियोजन साक्षी क्रमांक–2के उपरोक्त कथनों का कोई भी लाभ अभियुक्तगण को नहीं दिया जा सकता है।

35. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि बचाव साक्षी क्रमांक–1 लालधर द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि घटना के समय अभियुक्ता कविता उनके घर पर विवाह में आयी थी। यहाँ पर बचाव साक्षी क्रमांक–1 लालधर का साक्ष्य अवलोकनीय है, इस साक्षी द्वारा अपने मुख्य परीक्षा में कहा गया है कि घटना दिनांक 29.05.2024 की है। भुल्लर रिश्ते में हमारे साले हैं, कविता और रितू हमारे रिस्ते में भतीजी हैं, घटना के पन्द्रह दिन पहले कविता और रितू हमारे घर पर थी, हमारे घर पर शादी थी, उसी अवसर पर वे लोग आयी थी। ये लोग घटना के पहले आयी थी और घटना घटित होने के दिन भी हमारे घर में ही थी। दिनांक 29.05.2024 को सुबह भुल्लर के द्वारा सूचना मिली कि हमारी पतोहू नीतू फांसी लगाकर मर गयी है, देखना हो तो आप लोग आ जाइये, इस सूचना पर मैं, कविता और रितू अपने साले भुल्लर के घर पर आये। इस घटना के बारे में

भुल्लर थाने सूचना देने के लिए गये, मैं भी साथ में गया था। भुल्लर के द्वारा लिखित सूचना थाने पर देने पर पुलिस वाले भुल्लर के घर पर आये। मृतका नीतू के परिवार वाले मृतका के पिता गुड्डू व उनके भाई और दो लोग साथ में और आये थे। भुल्लर व गुड्डू और उनके साथ जो लोग आये थे उनके समक्ष पंचायतनामा हुआ। पंचायतनामा में मुझे शामिल नहीं किया गया। पंचायतनामा में सभी लोगों ने आपस में तय किया कि मृतका नीतू स्वयं फांसी लगाकर मरी है और आपस में लोग यही चर्चा करते थे कि मृतका नीतू पूना अपने पति के साथ रहना चाहती थी। सज्जन अपने साथ अपनी पत्नी को पूना नहीं ले गया, इसी क्रोधवश वह फांसी लगाकर मर गयी।

36. यहाँ पर बचाव साक्षी लालधर के प्रतिपरीक्षण के कथनो का भी अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जिसमें उसके द्वारा कहा गया है कि सभी अभियुक्तगण उसके रिश्तेदार हैं, उन्हीं को बचाने के लिए वह न्यायालय में बयान दे रहा है। उस शादी से सम्बन्धित कोई फोटोग्राफ अथवा वीडियो उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। भुल्लर उसके साले हैं। घटना के समय भुल्लर अपने घर पर थे। शादी उसके यहाँ किस तारीख को थी, उसे याद नहीं है। मृतका नीतू और भुल्लर के परिवार वालों के बीच कैसा सम्बन्ध था, वह नहीं बता सकता। इस साक्षी के इन प्रतिपरीक्षण के कथनों से स्पष्ट है कि यह साक्षी अभियुक्ता कविता का सगा मामा व अभियुक्त भुल्लर का सगा साला है तथा उसके कथन कि घटना दिनांक को अभियुक्ता कविता शादी में उसके घर पर थी, को सम्पुष्ट किए जाने हेतु कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही यह साक्षी यह तथ्य बताने में ही सक्षम है कि घटना के समय अभियुक्ता किसके विवाह में गयी थी तथा वह विवाह किस दिनांक को था।

37. यहाँ पर अभिलेख कागज संख्या–13 अ, जो कि अभियुक्तगण सज्जन, कविता व भुल्लर की गिरफ्तारी मेमो है, अवलोकनीय है, जिससे यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण सज्जन, कविता व भुल्लर को पुलिस द्वारा सरायजगदीश रेलवे स्टेशन से दिनांक 01.06.2024 को समय 6.30बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि यदि उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया था, ऐसे में उनके द्वारा अपना घर छोड़कर भागे थे।यहाँ पर **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा–8** अवलोकनीय है, जो यह प्रावधानित करती है कि अभियुक्त

के घटना से पूर्व का या पश्चात के आचरण का तथ्य सुसंगत है। यह धारा यह प्रावधानित करती है कि,"किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात का।"

38. यहाँ पर न्याय दृष्टांत **सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मोनू शर्मा विरुद्ध दिल्ली एन.सी.टी.राज्य, 2010(69) ए०सी०सी० 833(उच्चतम न्यायालय)** अवलोकनीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस न्याय दृष्टांत में यह अवधारित किया गया है कि जहाँ पर हत्या करने के पश्चात अभियुक्तगण फरार हो गये हों,अभियुक्तगण का यह व्यवहार धारा–8 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अत्यन्त सुसंगत है।

39. उल्लेखनीय है कि सभी अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता में यह कहा गया है कि वे निर्दोष है तथा उन्हें झूंठा फंसाया गया है। यहाँ पर अभियोजन साक्षी क्रमांक–1गुड्डू गौतम जो कि मृतका का पिता है, के प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–5 के कथन अवलोकनीय है,जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि,"मेरी लड़की अपने पति सज्जन जो कि पूना में रहते थे,उसके साथ रहने के लिए बराबर कहती थी। हम लोग भी यही चाहते थे कि मेरी लड़की अपने पति के साथ पूना में रहे। पूना में रहने को लेकर मेरी लड़की से उसके ससुराल वालों से वाद विवाद होता था। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इसी पृष्ठ पर आगे कहा है कि इस घटना से दस दिन पहले उसका दामाद पूना जहाँ नौकरी करते थे,गये थे। इसी साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–3 में कहा है कि "मेरे दामाद सज्जन रोजी रोटी के सम्बन्ध में पूना में रहते थे। घटना के समय मेरे दामाद सज्जन पूना में थे,घर पर नहीं थे। घटना के समय मेरे समधी भुल्लर व दो लड़कियाँ कविता और रीतू थे। अभियोजन साक्षी क्रमांक–2तिलेश्वर नाथ जो कि मृतका के भाई हैं,के द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पृष्ठ संख्या–3 में कहा गया है कि घटना के दिन सज्जन अपने घर में नहीं थे। घटना के दस–पन्द्रह दिन पहले जहाँ नौकरी करते थे,चले गये थे। घटना के दिन सज्जन के पिता भुल्लर व उनकी दो बहनें थी। उल्लेखनीय है कि प्रदर्श क–5 जो कि मृतका के शव का पंचायतनामा है,के अवलोकन से स्पष्ट है कि वहाँ

पर अभियुक्त सज्ञन उपस्थित नहीं था। यहाँ पर प्रदर्श क–1जो कि मृतका के पिता द्वारा थाने पर दिये गये तहरीर की मूल प्रति है, का अवलोकन आवश्यक है, जिसमें यह अंकना है कि, " गाड़ी के लिए मेरी बेटी से 28.05.2024 को ससुर भुल्लर व ननद कविता बेटी को लड़ाई झगड़ा करके उसको मारा पीटा, जब वह घटना को घर पर बताने की कोशिश की तो उसका मोबाइल भी नहीं दिये, फिर दूसरे दिन 29.05.2024 को सुबह 9 से 10 के बीच जान से मारकर उसको साड़ी के सहारे गले में फंदा लगाकर घर के अंदर पंखा के सहारे उसको लटका दिया गया।" इस दस्तावेज से स्पष्ट है कि अभियुक्त सज्ञन नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में घटना दिनांक 29.05.2024 समय 9 से 11.30बजे दिन की है। जबकि दिनांक 01.06.2024 को रेलवे स्टेशन से सुबह 6.30बजे अभियुक्त सज्ञन को अन्य सहअभियुक्तगण भुल्लर एवं कविता के साथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। सामान्य मेधा की बात है कि जिस व्यक्ति के पत्नी की मृत्यु हो गयी हो, वह पूना से लगभग दो दिन में भदोही पहुंच सकता है। अभिलेख पर अन्य ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि घटना दिनांक 29.05.2024को अभियुक्त सज्ञन मौके पर उपस्थित रहा हो तथा अभियोजन द्वारा अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे संदेहों से परे यह प्रमाणित होता हो कि अभियुक्त सज्ञन द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में अन्य अभियुक्तगण भुल्लर व कविता के साथ मिलकर मृतका की हत्या की गयी तथा अपराध के साक्ष्य का विलोपन किया गया है।

40. उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतका नीतू की मृत्यु अभियुक्तगण के घर में हुई है, जहाँ पर अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य कोई उपस्थित नहीं था। चूँकि कोई अभियुक्त किस हेतुक से अपराध कर रहा है, यह सदैव प्रकट होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हेतुक अभियुक्त के मस्तिष्क का विचार है। न्याय दृष्टांत **संजीव विरुद्ध हरियाणा राज्य, (2015)4 एस०सी०सी० 387(उच्चतम न्यायालय)** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि अभियुक्त द्वारा किये गये हत्या के अपराध के लिए हेतुक का प्रमाणित होना आवश्यक नहीं है। हेतुक कभी–कभी व्यक्ति के इरादे से भी प्रकट होता है तथा यह इरादा घटनास्थल पर घटना कारित करते समय भी बन सकता है।

41. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि तहरीर में हस्ताक्षर के

पश्चात दिनांक अंकित नहीं है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि जबकि तहरीर में ही घटना दिनांक 29.05.2024 अंकित की गयी है तथा अभियोजन साक्षी क्रमांक–4 कां० सौरभ कुमार, जो कि चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक हैं, के द्वारा अपने साक्ष्य में यह प्रमाणित किया गया है कि दिनांक 29.05.2024 को प्रस्तुत प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है। अतः अभियुक्तगण के इस तर्क में कोई बल शेष नहीं रह जाता है।

42. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में तीन अभियुक्तगण नामजद हैं तथा आरोप–पत्र चार अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी अपराध के घटित होने मात्र की पुलिस को दी गयी सूचना होती है। सदैव यह आवश्यक नहीं है कि जिनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है, उतने ही लोगों के विरुद्ध आरोप–पत्र प्रेषित हो।

43. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि प्रस्तुत प्रकरण में दो तहरीर एक अभियुक्त भुल्लर की ओर तथा दूसरी मृतका के पिता की ओर से दी गयी है और दोनों एक ही हस्तलेख में है। इस सम्बन्ध में यहाँ स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि प्रदर्श क–1 मृतका नीतू के पिता गुड्डू गौतम द्वारा दी गयी तहरीर है। दूसरी प्रदर्श क–6 अभियुक्त भुल्लर द्वारा दी गयी तहरीर है तथा दोनों के हस्तलेख व कलम व कलम की स्याही पृथक–पृथक है। अतः अभियुक्तगण के इस तर्क में भी कोई बल शेष नहीं रह जाता है।

44. जबकि चिकित्सकगण जो कि अभियोजन साक्षी क्रमांक–5 व 6 हैं, के साक्ष्यों से यह प्रमाणित है कि मृतका नीतू की मृत्यु हांथ से गला दबाने से हुई है। ऐसे में अभियुक्तगण के इस तर्क में भी कोई बल शेष नहीं रह जाता है कि पंचायतनामा में मृतका की मृत्यु का कारण फांसी लगाने से हुई है, क्योंकि पंचायतनामा के साक्षी न ही चिकित्सक हैं तथा न ही चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ ही है।

45. जहाँ तक अभियुक्तगण के इस तर्क का प्रश्न है कि पंचायतनामा के साक्षी नायब तहसीलदार को बतौर अभियोजन साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पंचायतनामा को अभियोजन साक्षी क्रमांक–1 गुड्डू गौतम व अभियोजन

साक्षी क्रमांक–7 संतोष कुमार द्वारा प्रमाणित किया गया है। जबकि एक ही दस्तावेज को दो अभियोजन साक्षियों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है तो ऐसे में नायब तहसीलदार जो कि पंचायतनामा के साक्षी हैं, के द्वारा पंचायतनामा प्रमाणित न होने से अभियुक्तगण के इस तर्क में भी कोई बल शेष नहीं रह जाता है।

46. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन अभियुक्तगण सज्जन, भुल्लर एवं कविता के विरुद्ध संदेहो से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि दिनांक 14.06.2022 को अभियोगी की पुत्री नीतू (मृतका) जिसका अभियुक्त सज्जन गौतम से विवाह हुआ था, परन्तु सभी अभियुक्तगण द्वारा शादी के बाद से ही मृतका को दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण लगातार प्रताड़ित किया गया तथा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 28.05.2024 को नीतू (मृतका) से लड़ाई–झगड़ा कर उससे मारपीट की गई तथा दिनांक 29.05.2024 की प्रातः अभियुक्त सज्जन गौतम की शह पर अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मृतका नीतू को जान से मारकर उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे के सहारे फांसी पर लटका कर विवाह के सात वर्ष के अंदर दहेज की मांग के लिए मृतका के साथ क्रूरता करते हुए दहेज मृत्यु कारित की गई तथा अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 16.06.2022 को अभियुक्त सज्जन गौतम व मृतका नीतू के विवाह के उपरांत दिनांक 29.05.2024 तक मृतका नीतू से लगातार अतिरिक्त दहेज के रुप में मोटर साईकिल की अवैध मांग की गई। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण सज्जन, भुल्लर को सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024 एवं अभियुक्ता कविता को सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी.भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं। तद्नुसार अभियुक्तगण सज्जन, भुल्लर को सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024 एवं अभियुक्ता कविता को सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 में लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा–498ए, 304बी.भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा–3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है।

47. अभियोजन संदेहों से परे यह भी प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त सज्जन द्वारा दिनांक 28.05.2024 को नीतू (मृतका) से लड़ाई–झगड़ा कर उससे मारपीट की गई तथा दिनांक 29.05.2024 की प्रातः अभियुक्त सज्जन की शह पर अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मृतका नीतू को जान से मारकर उसके गले में साड़ी का फंदा

डालकर आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे के सहारे फांसी पर लटका दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त सज्जन लगाये गये वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किए जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्त सज्जन लगाये गये वैकल्पिक आरोप अन्तर्गत धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

48. अभियुक्त सज्जन प्रस्तुत प्रकरण में जेल में निरुद्ध है। अतः अविलम्ब रिहाई परवाना जिला कारागार ज्ञानपुर भदोही भेजा जाय।

49. अभियोजन संदेहों से परे सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024 में अभियुक्त भुल्लर के विरुद्ध तथा सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 में अभियुक्ता कविता के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उनके द्वारा दिनांक 28.05.2024 को नीतू (मृतका) से लड़ाई–झगड़ा कर उससे मारपीट की गई तथा दिनांक 29.05.2024 की प्रातः सामान्य आशय के अग्रसरण में मृतका नीतू को जान से मारकर उसके गले में साड़ी का फंदा डालकर आत्महत्या दिखाने के लिए पंखे के सहारे फांसी पर लटका दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त भुल्लर को सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024 एवं अभियुक्ता कविता को सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 में लगाये गये वैकल्पिक आरोप धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किए जाने योग्य है। तद्नुसार अभियुक्त भुल्लर को सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024 एवं अभियुक्ता कविता को सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 में लगाये गये वैकल्पिक आरोप धारा–302, 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

50. अभियुक्त भुल्लर एवं अभियुक्ता कविता प्रस्तुत मामले में जेल में निरुद्ध हैं। अतः उन्हें अभिरक्षा में लिए जाने की आवश्यकता नहीं है।

48. दण्डादेश के सम्बन्ध में दोषसिद्धगण भुल्लर एवं कविता को सुनने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–235(2)के अन्तर्गत दिनांक 24.07.2026 के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है। दोषसिद्धगण भुल्लर एवं कविता को नियमानुसार नियत दिनांक को जिला कारागार से तलब किया जाय।

दिनांक–23.07.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(प्रथम)
महिला उत्पीड़न, भदोही।

दिनांक–24.07.2026

पत्रावली प्रस्तुत हुई। दोषसिद्धगण भुल्लर व कविता अभिरक्षा में जिला कारागार से उपस्थित हैं।

दण्डादेश के सम्बन्ध में दोषसिद्धगण व उनकी ओर से नामित विधिक सहायता प्रतिरक्षा परामर्श प्रणाली अधिवक्ता श्री दीपक रावत तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री प्रवेश तिवारी को सुना गया।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रकरण विरल से विरलतम की कोटि का नहीं है तथा दोषसिद्ध भुल्लर वयोवृद्ध एवं बीमार व्यक्ति है तथा दोषसिद्ध कविता एक अविवाहित महिला है। यह उनका प्रथम अपराध है। अतः उन्हें कम से कम दण्ड दिया जाय।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह कथन किया गया कि दोषसिद्धगण द्वारा मृतका नीतू को अपने ही घर में गला दबाकर उसकी हत्या कारित करके गम्भीर अपराध कारित किया गया है। अतः दोषसिद्धगण को अधिक से अधिक दण्ड दिया जाय।

अभिलेखों से स्पष्ट है कि दोषसिद्धगण के विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्धि नहीं बतायी गयी है। दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध विरल से विरलतम कोटि का प्रकट नहीं होता है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–443 सन् 2024, मुकदमा अपराध संख्या–63 सन् 2024, थाना–कोईरौना, जनपद–भदोही के मामले में दोषसिद्ध भुल्लर को भारतीय दण्ड विधान की धारा–302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा मु०10,000/–(दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर दोषसिद्धगण को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध भुल्लर दो वर्ष का साधारण कारावास तथा मु०5,000/–(पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दोषसिद्ध को तीन माह का

अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026, मुकदमा अपराध संख्या–63 सन् 2024, थाना–कोईरौना, जनपद–भदोही के मामले में दोषसिद्ध कविता को भारतीय दण्ड विधान की धारा–302 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए आजीवन कारावास तथा मु०10,000/–(दस हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न किये जाने पर दोषसिद्धगण को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध कविता दो वर्ष का साधारण कारावास तथा मु०5,000/–(पांच हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर दोषसिद्ध को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

दोषसिद्धगण की दोनों सजाएं साथ–साथ चलेगी।

दोषसिद्धगण द्वारा विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि, दण्ड की अवधि में धारा–428 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत समाहित की जायेगी।

चूँकि दोषसिद्धगण जेल में निरुद्ध है। अतः इस निर्णय की एक प्रति दोषसिद्धगण को निःशुल्क प्रदान की जाय तथा इस निर्णय की एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–489 सन् 2026 उत्तर प्रदेश राज्य प्रति कविता की पत्रावली में रखी जाये।

प्रकरण में जब्त सम्पत्ति यदि कोई हो तो निरपयोगी होने के कारण अपील अवधि के पश्चात नष्ट की जाय, परन्तु अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार उसका निस्तारण किया जाय।

दिनांक–24.07.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(प्रथम)
महिला उत्पीड़न, भदोही।

निर्णय आज खुले न्यायालय में तिथि सहित हस्ताक्षर करके मेरे द्वारा उद्घोषित किया गया।

दिनांक–24.07.2026

(पुष्पा सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(प्रथम)
महिला उत्पीड़न, भदोही।

Digitally signed by PUSHPA SINGH
Date: 2026.08.01 11:25:41 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court